

प्रेस नोट दिनांक- 14.07.2024

थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ एक और कड़ा एक्शन

पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्त वर्ष 2022 मे आर्म्स एक्ट के अभियोग में थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से जा चुका है जेला

अभियुक्त थाना कोहड़ौर के मु0अ0सं0 105/ 24 धारा 191(2), 191(3), 190, 115-(2), 351(3), 126(2) बीएन एस व धारा 3(1)द, 3-(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में नामजद आरोपी है। थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत टोल प्लाजा से 50 मी0 पहले ग्राम धरौली मधुपुर के पास से अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.07.2024 को समय 22.10 बजे अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायन वैश के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोहड़ौर राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 निकेत भारद्वाज मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार, हे0का0 लालबाबू शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत गोसाई के पुरवा के पास स्थित बगिया ग्राम गोसाई के पुरवा, मजरे अमावां के पास से 01 अभियुक्त धीरेन्द्र पाल उर्फ शेरु पुत्र वीरेन्द्र पाल नि0 धरौली मधुपुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना कोहड़ौर के मु0अ0सं0 105/ 24 धारा 191(2), 191(3), 190, 115-(2), 351(3), 126(2) बीएन एस व धारा 3(1)द, 3-(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में नामजद आरोपी है।

गिरफ्तार अभियुक्त धीरेन्द्र पाल उर्फ शेरु पुत्र वीरेन्द्र पाल उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना कोहड़ौर में मु0अ0सं0 107/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- धीरेन्द्र पाल उर्फ शेरु पुत्र वीरेन्द्र पाल नि0 धरौली मधुपुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदा

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 444 / 22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 105/ 24 धारा 191(2), 191 -(3), 190, 115-(2), 351-3, 126(2) बीएन एस व धारा 3(1)द, 3-(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़
03. मु0अ0सं0 107/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 निकेत भारद्वाज मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार, हे0का0 लालबाबू शुक्ला, का0 राहुल कुमार थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार के द्वारा शातिर अभ्यस्त व सक्रिय गिरोहबन्द अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

जनपद में पुलिस अधीक्षक का अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति

पुलिस अधीक्षक द्वारा गैग्रेस्टर जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दिए गये थे सख्त निर्देश

चेकिंग के दौरान थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टिकरी नहर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार,

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अभियुक्त मो0 शाहरूख उपरोक्त, थाना कोतवाली नगर, लीलापुर व अंतू में डकैती, लूट, गैग्रेस्टर, चोरी जैसे जघन्य अपराधों में था संलिप्त

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर विवेक कुमार मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 13.07.2024 को समय 23.02 बजे उ0नि0 सुरेश यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र कुमार वर्मा, का0 विलास यादव, का0 विनोद कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टिकरी नहर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त मो0 शाहरूख पुत्र मो0 नशीम निवासी ग्राम शिवसत (चालाकपुर बाद फरोसान) थाना दिलीपपुर जनपद

प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 शाहरूख उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 120/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- मो0 शाहरूख पुत्र मो0 नशीम निवासी ग्राम शिवसत (चालाकपुर बाद फरोसान) थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 शाहरूख उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 282/23 धारा 282/23 भादवि थाना को0नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 285/23 धारा 399/402/411 भादवि थाना को0नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।
03. मु0अ0सं0 286/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।
04. मु0अ0सं0 127/23 धारा 392/504/511 भादवि थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।
05. मु0अ0सं0 659/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंग0एक्ट थाना को0नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।
06. मु0अ0सं0 151/23 धारा 394/411 भादवि थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ ।
07. मु0अ0सं0 304/23 धारा 394/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।
08. मु0अ0सं0 120/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01. अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद ।
01. अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 सुरेश यादव थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।
02. हे0का0 राजेन्द्र कुमार वर्मा थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।
03. का0 विलास यादव थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।
04. का0 विनोद कुमार थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, वादिनी मुकदमा को आरोपी द्वारा जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने व गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मन्नान की बाग के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

वादिनी/अभियोगिनी को आरोपीगण द्वारा 01 माह पूर्व में जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने व आरोपी द्वारा वादिनी के परिजनों को गाली गलौज करने एवं धमकी देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 11.07.2024 को धारा 376, 363, 506, 323 भादवि व 5एल/6 पाक्सो एक्ट बनाम 02 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कुण्डा के निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, धारा 376, 363, 506, 323 भादवि व 5एल/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 1- रंजीत कुमार पटेल पुत्र सुरेश कुमार पटेल नि०ग्राम पूरे हुलास का पुरवा लटतारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 14.07.2024 को 08.35 बजे थानाक्षेत्र कुण्डा के मन्नान की बाग के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रंजीत कुमार पटेल पुत्र सुरेश कुमार पटेल नि०ग्राम पूरे हुलास का पुरवा लटतारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह का० सतीश कुमार यादव, का० हर्षवर्धन सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
घर में घुसकर मारपीट व जान मारने की धमकी देने के प्रकरण में अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत के गहरी मोड़ के पास बम्बी पुलिया से हुई गिरफ्तारी

घटना का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा वादी के घर पर गाली- गलौज करना एवं जान से मारने धमकी देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 03.07.2024 को मु0अ0सं0 258/24 धारा 352, 351(2) बी0एन0एस बनाम 03 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 308(5), 333 बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह थाना लीलापुर के नेतृत्व में उ0नि0 श्री किशन सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री सौरभ यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर, मु0अ0सं0 258/24 धारा 308(5), 333, 352, 351(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित 03 वांछित अभियुक्त, 1- सगीर पुत्र इबरार उर्फ लोला खान 02- शकील पुत्र इबरार उर्फ लोला खान 03- इबरार उर्फ लोला खान पुत्र शहाबुद्दीन नि0गण तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 13.07.2024 को 21.30 बजे थानाक्षेत्र लीलापुर के गहरी मोड़ के पास बम्बी पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- सगीर पुत्र इबरार उर्फ लोला खान नि0 तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
- 2- शकील पुत्र इबरार उर्फ लोला खान नि0 तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
- 3- इबरार उर्फ लोला खान पुत्र शहाबुद्दीन नि0 तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री किशन सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री सौरभ यादव, हे0का0 प्रेमपाल यादव, का0 पवन कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के द्वारा अपराध में संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु दिये गये थे शख्त निर्देश

हत्या के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.07.2024 को आरोपीगण द्वारा थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रघना छतरपुर में वादी की पत्नी पर लाठी डण्डो से हमला कर हत्या करने के अभियोग में अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.07.2024 को समय करीब 10.00 बजे आरोपीगणों द्वारा वादी राजू वर्मा पुत्र स्व० बैजनाथ वर्मा निवासी रघना छतरपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ के साथ पेड़ को काटने को लेकर विवाद हो गया था जिसमें वादी की पत्नी को लाठी व डण्डों से मारपीट का घायल कर देने से वादी की पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में मु०अ०सं० 400/24 धारा 115(2),352,351(2),351(3),103(1)3(5)बी०एन०एस० बनाम 04 नामजद के अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार के द्वारा अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिये गये कड़े निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह व०उ०नि० रविन्द्र कुमार यादव, उ०नि० शुभनाथ साहनी, का० अंकित यादव, का० अवधेश यादव, का० छोटक चौधरी,म०का० दीपिका त्रिपाठी, चालक का० अक्षय चौधरी, पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 400/24 धारा

115(2),352,351(2),351(3),103(1)3(5)बी०एन०एस० में संबंधित वांछित अभियुक्त शकुन्तला देवी पत्नी बुद्धिराम वर्मा निवासी ग्राम रघना छतरपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत रायचन्द्रपुर की ओर से भट्टी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01- शकुन्तला देवी पत्नी बुद्धिराम वर्मा निवासी ग्राम रघना छतरपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह व०उ०नि० रविन्द्र कुमार यादव,उ०नि० शुभनाथ साहनी, का० अंकित यादव, का० अवधेश यादव, का० छोटक चौधरी,म०का० दीपिका त्रिपाठी, चालक का० अक्षय चौधरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरेनरायानदास में राजा सिंह के मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त

01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

दिनांक 11.07.2024 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत धमकी/ गाली गलौच, मारपीट व फायरिंग की घटना का करने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.07.2024 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत छोटेंगंज बाजार में वादी जितेन्द्र बहादुर पुत्र चन्द्रशेखर सिंह ग्राम शाहवारी थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ मौर्या की चाय की दुकान पर चाय पीने गया था उसी समय चार मोटर साइकिल सवार हमलावरों ने जान से मारने की नियत से वादी को धमकी देने, गाली गलौच कर मारपीट कर फायरिंग कर दिये थे। जिसके संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) 351(3), 109 बीएनएस बनाम 07 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी सांगीपुर के नेतृत्व में दिनांक 14.07.2024 को समय 08.48 बजे थाना सांगीपुर के उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 132/2024 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) 351(3), 109 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम निवासी पूरे नरायनदास थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र सांगीपुर के ग्राम पूरेनरायानदास में राजा सिंह के मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

अभियुक्त सत्यम सिंह उपरोक्त की निशानदेही पर कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना सांगीपुर के मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/ 25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 132/2024 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) 351(3), 109 बीएनएस थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सत्यम सिंह पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम निवासी पूरे नरायनदास थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह का अमित कुमार यादव व का० रजनेश कुमार हस्बुल तलब हमराह उ0नि० आकाश शुक्ला थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन हत्या के प्रयास, मारपीट करने, गाली- गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दिलीपपुर पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत बेलखरनाथ पुल से नजियापुर जाने वाली सड़क के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी दिलीपपुर के नेतृत्व में दिनांक 14.07.2024 को थाना दिलीपपुर के उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 100/2024 धारा 147,148,149,307,325,323,504,506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त हरिओम उर्फ कौशल पाण्डेय पुत्र सुरेश कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम पुरे गुलाल थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र दिलीपपुर के बेलखरनाथ पुल से नजियापुर जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का विवरण-

दिनांक 10.06.2024 को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरे गुलाल में आरोपीगणों द्वारा पैसे माँगने के विवाद को लेकर एक राय होकर वादिनी के पिता के सर पर कुल्हाड़ी से हमला करने व मारपीट गाली- गलौज व धमकी देने के प्रकरण में दिनांक 10.06.2024 को थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 100/2024 धारा 147,148,149,307,325,323,504,506 भादवि बनाम 05 नामजद अभियुक्तगणों का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-100/2024धारा147,148,149,307,325,323,504,506भादवि थाना दिलीपपुर
प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- हरिओम उर्फ कौशल पाण्डेय पुत्र सुरेश कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम पुरे गुलाल थाना दिलीपपुर,
जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव मय हमराह हे0 का0 राजेन्द्र कुमार वर्मा थाना दिलीपपुर , जनपद
प्रतापगढ़ ।